

9
२५

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
वादी व वादी अधिवक्ता को अक-रू
कर उबार आवाज लगाई गई कोई
उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र
अन्तर्गत धारा 188, 92A RTA अधिनियम के
अधिनियम में खारिज किया जाता है।
पत्रावली विधि को लेकर गम्बर से काम
होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

